

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कबीरघाम

कमांक/2623/आजाक/पो.मै.ऑन.छात्र./2024-25
प्रति.

कबीरघाम दिनांक 25/10/2024

सर्व प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,

विकासखण्ड-कवर्धा/बोडला/पंडरिया/स.लोहारा
जिला-कबीरघाम(छ.ग.)

विषय :- वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि में वृद्धि की सूचना।
संदर्भ :- आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर का पृ.कमांक /ऑ.ला.पो.मै.छा./183/2024-25/7854 नवा रायपुर दिनांक 24.10.2024

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार वर्ष 2024-25 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रारंभ की गई है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2024-25 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है:-

कं.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	2	3
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 01.11.2024 से 31.12.2024 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.11.2024 से 15.01.2025 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.11.2024 से 31.01.2025 तक

कृपया निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal Lock अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किये जाने का निर्देश प्राप्त है। प्राप्त निर्देशानुसार उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के पात्रता रखने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होने की स्थिति में संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

नोट:-

- 1- PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
- 2- वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से **OTR** की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय की जानी है। **OTR** की प्रविष्टि के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रक्रिया की जानकारी प्रदाय की जावेगी।
- 3- वर्ष 2024-25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार **Geo-Tagging** किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा **Geo-Tagging** नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

पृ0कमांक/2623/आजाक/पो.मै.ऑन.छात्र./2024-25
प्रतिलिपि:-

1-आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2-कलेक्टर, जिला कबीरघाम की ओर सादर सूचनार्थ।

3-सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरघाम की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी (पोर्टल प्रारंभ एवं अंतिम तिथि) दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों(जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करेंगे।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास कबीरघाम
कबीरघाम दिनांक 25/10/2024

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास कबीरघाम